अधिसूचना सं0 6/2014-सेवा कर नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014.

सा.का.नि. (अ) - केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 25/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं0 467 (अ), तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना में, आरंभिक पैरा में,--

(i) प्रविष्टि 2क के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि, अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(2ख) सामान्य जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट उपचार सुविधा प्रचालकों द्वारा किसी नैदानिक स्थापन को जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के उपचार, व्ययन या ऐसे उपचार या व्ययन के आनुषंगिक संक्रियाओं के तौर पर प्रदान की गई सेवाएं ।"

(ii) प्रविष्टि 7 का लोप किया जाएगा ।

(iii) प्रविष्टि 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"9. (क) किसी शैक्षिक संस्था द्वारा उसके विद्यार्थियों, संकाय और कर्मचारिवृन्द को ;

(ख) किसी शैक्षिक संस्था को,--

(i) विद्यार्थियों, संकाय और कर्मचारिवृन्द के परिवहन ;

(ii) खानपान, जिसमें सरकार द्वारा प्रयोजित कोई मध्यान भोजन स्कीम भी है ;

(iii) ऐसी शैक्षिक संस्था में की गई सुरक्षा या सफाई या गृह प्रबंधन सेवाओ ;

(iv) ऐसी संस्था में प्रवेश या परीक्षा के संचालन से संबंधित सेवाओं,

के रूप में प्रदान की गई सेवाएं ।"

(iv) प्रविष्टि 18 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"18. किसी ऐसे होटल, सराय, अतिथिगृह, क्लब या कैंपस्थल द्वारा, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता है, आवासीय या रहने के प्रयोजनों के लिए सेवाएं जिसका आवास इकाई का घोषित टैरिफ एक हजार रुपए प्रति दिन से कम या समतुल्य है ।"

(v) प्रविष्टि 20 में, मद (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(ञ) रासायनिक उर्वरक, जैविक खाद और खली ;

(ट) ओटी गई या गाठित कपास ;"

(vi) प्रविष्टि 21 में,--

(क) मद (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(ङ) रासायनिक उर्वरक, जैविक खाद और खली ;

(ख) मद (ज) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(झ) ओटी गई या गाठित कपास ;"

(vii) प्रविष्टि 23 में, मद (ख) के स्थान पर, निम्नलिखत मद रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(ख) यात्रियों के परिवहन के लिए पर्यटन, संचालित यात्रा, चार्टर या भाड़ा को छोड़कर रेडियो टैक्सी से भिन्न गैर-वातानुकूलित संविदा वाहन ;"

(viii) प्रविष्टि 25 में, मद (क) के स्थान पर, निम्नलिखत मद रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(क) जल आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई, ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन या गंदी बस्ती सुधार और उन्नयन ; या";

(ix) प्रविष्टि 26क में, मद (ख) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"(ग) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित ऐसा जीवन सूक्ष्म-बीमा उत्पाद जिसके कवर की अधिकतम रकम 50,000 रुपए हैं ;";

(x) प्रविष्टि 40 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"40. चावल, ओटी गई या गठित कपास की लदाई, उतराई, भंडारण या भांडागारण के माध्यम से सेवाएं ;

41. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा आरक्षितियों के प्रबंधन के संबंध में भारत के बाहर से प्राप्त की गई सेवाएं ;

42. किसी यात्रा प्रचालक द्वारा संपूर्णतया भारत के बाहर संचालित यात्रा के संबंध में, भारत के बाहर निवास करने वाले प्राप्तिकर्ता या किसी विदेशी यात्री को प्रदान की गई सेवाएं ;";

2. उक्त अधिसूचना में, परिभाषाओं से संबंधित पैरा 2 में,--

(क) खंड (च) का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(णक) "शैक्षिक संस्था" से वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 66घ के खंड (ठ) में विनिर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करने वाली संस्था अभिप्रेत है ;'

(ग) खंड (भ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(भक) "जीवन सूक्ष्म-बीमा उत्पाद" का वही अर्थ है जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सूक्ष्म-बीमा) विनियम, 2005 के नियम 2 के खंड (ङ) में दिया गया है ;'

(घ) खंड (यक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(यक) "रेडियो टैक्सी" से ऐसी टैक्सी अभिप्रेत है जिसमें रेडियो कैब भी है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो केंद्रीय नियंत्रण कार्यालय के साथ दोनों ओर से रेडियो संचार है और वैश्विक स्थिति प्रणाली (जीपीएस) या साधारण जेबी रेडियो सेवा (जीपीआरएस) के लिए समर्थ है ;';

(यकक) "मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय" से (i) भारतीय ओलपिक संघ, (ii) भारतीय खेल प्राधिकरण, (iii) केंद्रीय सरकार के खेल और युवा कार्य मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त कोई राष्ट्रीय खेल परिसंघ और उसके सहबद्ध परिसंघ (iv) केंद्रीय सरकार के खेल और युवा कार्य मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठन, (v) अंतर्राष्ट्रीय ओलपिक संघ या अंतर्राष्ट्रीय ओलपिक संघ द्वारा मान्यताप्राप्त कोई परिसंघ या (vi) कोई ऐसा परिसंघ या निकाय, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी खेल को विनियमित करता है और भारत में खेल को विनियमित करने वाले उससे सहबद्ध परिसंघ या निकाय अभिप्रेत है ;'।

[फा.सं. 334/15/2014-टीआरयू]

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में, अधिसूचना सं. 25/2012-सेवा कर तारीख 20 जून, 2012 द्वारा सं. सा.का.नि. 467(अ) तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 04/2014-सेवा कर तारीख 17 फरवरी, 2014 द्वारा सं. सा.का.नि. 91(अ) तारीख 17 फरवरी, 2014 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।